मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, अजमेर (राज0)

पीठासीन अधिकारी–महेन्द्र कुमार ढाबी.
आर.जे.एस.

मोटर वाहन दुर्घटना दावा संख्या–315/2024

1. अरफान मोहम्मद शाह पुत्र श्री जिकरू मोहम्मद शाह, आयु–57 वर्ष.
2. श्रीमती हमीदा पत्नी श्री अरफान मौहम्मद, आयु–52 वर्ष.
3. श्रीमती सबरीना गोरी पत्नी स्व. श्री उमर फारूक, आयु–24 वर्ष.
निवासीगण–ग्राम पीसांगन, जिला–अजमेर (राज.)

.......प्रार्थीगण

बनाम

1. अब्दुल जलील पुत्र श्री मोहम्मद उमर, आयु–38 वर्ष, निवासी–खाखी दरवाजा, व्यापारी मौहल्ला, पीसांगन, जिला अजमेर (राज) (**चालक** ट्रेक्टर संख्या–आर.जे.01–आर.बी.–7764)

2. मुबारक स्या पुत्र श्री सत्तार शाह, आयु–38 वर्ष, निवासी–जानवर हॉस्पीटल के पीछे, पीसांगन, पुलिस थाना पीसांगन, जिला अजमेर (राज.) (**स्वामी** वाहन)

3. यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, जरिए प्रबंधक ग्राउण्ड फ्लोर बेसमेंट, व्हाइट सेफायर अपॉर्टमेंट, गोविंद मार्ग आदर्शनगर, जयपुर (राज.)

.......अप्रार्थीगण

याचिका अंतर्गत धारा– 166 मोटर यान अधिनियम 1988

उपस्थितः–

अधिवक्ता प्रार्थीगण – श्री अशोक सिंह रावत व श्री जगमोहन सेन
अधिवक्ता अप्रार्थी क्रम–1 व 2–श्री शाहरूख कुरैशी
अधिवक्ता अप्रार्थी क्रम–03– श्री ए.एस.ओबेरॉय

निर्णय **दिनांकः–07.03.2026**

1. प्रार्थीगण अरफान मोहम्मद शाह–श्रीमती हमीदा (मृतक उमर फारूख के पिता –माता), श्रीमती सबरीना गोरी (मृतक की विधवा पत्नी) ने उक्त प्रार्थना पत्र इस अधिकरण में दिनांक 05.09.2024 को पेश किया जो नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया।

‘Authenticated Document"

याचिका के तथ्य

2. संक्षेप में याचिका के तथ्य इस प्रकार बताए गए है कि दिनांक 21.04.2024 को मृतक उमर फारूख अपनी मोटर साइकिल संख्या–आरजे.21–एस.डब्लू.–0744 पर रियांबडी नागौर से अपने घर जा रहा था जब वह सुबह करीब 4.00 बजे फतेहपुरा रोड करणी माता मंदिर के आगे पहुंचा तभी सामने से ट्रेक्टर संख्या–आर.जे.01–आर.बी.–7764 को उसके चालक अप्रार्थी क्रम–1 ने तेजगति, लापरवाहीपूर्वक चलाकर उमर फारूख को जोरदार टक्कर मार दी जिससे उसके शरीर पर गम्भीर चोटें आने से उसकी मृत्यु हो गई। उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना पीसांगन जिला अजमेर में देकर मुकदमा दर्ज कराया गया जिसमें बाद अनुसंधान अप्रार्थी क्रम–1 के खिलाफ चालान पेश किया गया। मृतक की जिस वाहन से दुर्घटना घटित हुई थी उसका चालक अप्रार्थी क्रम–1 है एवं रजि. स्वामी अप्रार्थी क्रम–2 है और बरवक्त दुर्घटना वाहन अप्रार्थी क्रम–03 बीमा कंपनी के पास बीमित था। याचिका में यह भी कहा गया है कि मृतक मृत्यु के समय 22 वर्षीय स्वस्थ कदकाठी का व्यक्ति था जो सोलर उर्जा एवं निर्माण कार्य का मिस्त्री था जिससे वह 24,000/–रूपये मासिक आय अर्जित करता था जिसकी इस दुर्घटना में मृत्यु से हुई क्षतिपूर्ति हेतु प्रार्थीगण ने सभी मदों में मिलाकर याचिका में वर्णितानुसार कुल–1,63,34,000/– रूपये की राशि 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दिलाने की प्रार्थना की है।

अप्रार्थी क्रम–1 व 2 का जवाब –

3. अप्रार्थी क्रम–01 व 02 क्रमशः वाहन चालक व स्वामी की ओर से याचिका का संयुक्त जवाब पेश कर अभिकथन किया गया है कि राशि बढाचढा कर मांगी गई है। यह भी कहा गया है कि याचिका के तथ्य, कथित तिथि, समय व स्थान पर दुर्घटना होना अस्वीकार है। उनका कहना है कि उनके वाहन द्वारा किसी प्रकार की कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई है मात्र वाहन को झूंठा लिप्त किया गया है। उक्त दुर्घटना अप्रार्थी चालक की गलती व लापरवाही से नहीं हुई थी फिर भी यदि अधिकरण अप्रार्थी चालक की गलती व लापरवाही मानता है तो उनका वाहन बरवक्त दुर्घटना अप्रार्थी क्रम–03 बीमा कंपनी के पास बीमित होने से क्षतिपूर्ति हेतु अप्रार्थी बीमा कंपनी उत्तरदायी है और अंत में उन्होंने याचिका खारिज करने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी क्रम–3 बीमा कंपनी का जवाब

4. अप्रार्थी क्रम–03 बीमा कंपनी की ओर से याचिका का जवाब पेश कर अभिकथन किया गया है कि राशि बढाचढा कर मांगी गई है। यह भी कहा गया है कि याचिका के तथ्य, कथित तिथि,

समय व स्थान पर दुर्घटना होना अस्वीकार है। उनका कहना है कि कथित ट्रेक्टर संख्या–आर.जे.01–आर.बी.–7764 से किसी भी प्रकार से कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई है वरन् उक्त वाहन को कथित दुर्घटना कारित होने के बाद मिलीभगत करके अंतर्लिप्त किया गया है। कथित दुर्घटना मृतक द्वारा बिना वैध व प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस के अपनी मोटर साइकिल को तेजगति व उपेक्षा पूर्वक चलाने से कारित हुई है जिस हेतु एकमात्र मृतक स्वयं जिम्मेदार रहा है। आगे कथन किया है कि सभी प्रार्थीगण किसी भी प्रकार से मृतक पर आश्रित नहीं रहे है। विकल्प में उनका कथन रहा है कि प्रकरण योगदायी उपेक्षा का है। उनका कथन है कि अप्रार्थी चालक के पास वक्त दुर्घटना वाहन को चलाने का वैध व प्रभावी ड्राइविंग लाईसेंस, परमिट व फिटनेस नहीं था और अंत में उनके विरूद्ध याचिका खारिज करने का निवेदन किया है।

विवाद्यक

05. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये गयेः–

1. क्या दिनांक 21.04.2023 को सुबह 4.00 बजे पुलिस थाना पीसांगन, जिला अजमेर के क्षेत्राधिकार में फतेहपुरा रोड आम सडक पर अप्रार्थी क्रम–01 ने अप्रार्थी क्रम–02 के ट्रेक्टर संख्या–आर.जे.01–आर.बी.–7764 को तेजगति व लापरवाही से चलाकर उमर फारूख को मोटर साइकिल संख्या–आर.जे.21–एस.डब्लू.–0744 पर जाते हुए को टक्कर मारी जिससे उसकी मृत्यु कारित हुई? ...प्रार्थीगण

2. क्या अप्रार्थी क्रम–01 बरवक्त दुर्घटना वाहन को अप्रार्थी क्रम–02 वाहन मालिक के नियोजन व हितार्थ चला रहा था ? ....प्रार्थीगण

3. क्या दुर्घटना हेतु मोटर साइकिल संख्या–आर.जे.21–एस.डब्लू.–0744 का चालक मृतक स्वयं भी समान रूप से जिम्मेदार है और इस प्रकार यह प्रकरण योगदायी उपेक्षा (contributory negligence) का है ? ....अप्रार्थी बीमा कंपनी

4 क्या अप्रार्थी क्रम–03 बीमा कंपनी की जवाब याचिका की प्रारंभिक आपत्ति व अतिरिक्त कथन में वर्णित कारणों एवं बरवक्त दुर्घटना अप्रार्थी क्रम–01 के पास वैध व प्रभावी ड्राइविंग लाईसेंस, परमिट व फिटनेस नहीं होने से अप्रार्थी बीमा कंपनी की शर्तो का उल्लंघन होने से वे क्षतिपूर्ति के प्रति उत्तरदायी नहीं है ? ....अप्रार्थी बीमा कंपनी

5. अनुतोष

ʻAuthenticated Document"

6. साक्ष्य प्रार्थीगण में ए.ड.–1 अरफान मौहम्मद व ए.ड.–2 मोहम्मद युसुफ परीक्षित हुए है एवं अप्रार्थीगण की ओर से किसी भी प्रकार की साक्ष्य लेखबद्ध नहीं कराई गई है।

7. उभयपक्षों की बहस सुनी गई। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का तर्क है कि 21.04.2024 को मृतक उमर फारूख अपनी मोटर साइकिल संख्या–आरजे.21–एस.डब्लू.–0744 पर रियांबडी नागौर से अपने घर जा रहा था जब वह सुबह करीब 4.00 बजे फतेहपुरा रेाड करणी माता मंदिर के आगे पहुंचा तभी सामने से ट्रेक्टर संख्या–आर.जे.01–आर.बी.–7764 को उसके चालक अप्रार्थी क्रम–1 ने तेजगति, लापरवाहीपूर्वक चलाकर उमर फारूख को जोरदार टक्कर मार दी जिससे उसके शरीर पर गम्भीर चोटें आने से उसकी मृत्यु हो गई। उक्त घटना दिनांक 21.04.2024 को सुबह 4.00 बजे घटित हुई थी जिसकी रिपोर्ट तत्काल उसी दिन 9.47 बजे पुलिस थाना पीसांगन, अजमेर में ट्रेक्टर नंबर सहित प्रस्तुत कर दी थी जिस पर अनुसंधान करते हुए अनुसंधान अधिकारी ने वाहन स्वामी अप्रार्थी क्रम –2 को धारा'–133 एम.वी.एक्ट का नोटिस दिया है जिसमें उसने उसके दुर्घटना कारित ट्रेक्टर को अप्रार्थी क्रम–1 द्वारा चलाना बताया है जिस पर अप्रार्थी क्रम–01 को धारा–134 एम.वी.एक्ट का नोटिस दिया गया जिसमें उसने दुर्घटना कारित ट्रेक्टर को वक्त घटना स्वयं द्वारा चलाना बताया है। नक्शे मौके से भी उक्त घटना अप्रार्थी क्रम–1 की गलती व लापरवाही से होना स्पष्ट है एवं पुलिस ने संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अप्रार्थी क्रम–01 अब्दुल जलील ट्रेक्टर चालक को दुर्घटना का आरोपी मानते हुए उसके विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा–279, 304 ए भा.द.सं. में सक्षम फौजदारी न्यायालय में प्रस्तुत किया है। उनका तर्क है कि दुर्घटना के चक्षुदर्शी साक्षी ए.ड.2 मोहम्मद युसुफ की साक्ष्य भी अखण्डनीय रही है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी इस क्लेम याचिका के संबंध में मौखिक व संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है जिसका किसी भी प्रकार का खण्डन अप्रार्थी पक्ष की ओर से नहीं किया गया है । उनका तर्क है कि मृतक उमर फारूख दुर्घटना के समय 22 वर्षीय व्यक्ति था जो सोलर उर्जा एवं निर्माण कार्य का मिस्त्री का कार्य करके 24,000/–रूपये मासिक कमाता था जिस पर उसकी पत्नी, पिता माता आश्रित थे। अंत में उन्होंने याचिका स्वीकार करने का निवेदन किया है।

8. इसके विरोध में अप्रार्थी बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि कथित ट्रेक्टर संख्या–आर.जे.01–आर.बी.–7764 से किसी भी प्रकार से कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई है अपितु उक्त ट्रेक्टर को कथित दुर्घटना कारित होने के बाद मिलीभगत करके अंतर्लिप्त किया गया है। कथित दुर्घटना मृतक द्वारा बिना वैध व प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस के अपनी मोटर साइकिल को तेजगति व

उपेक्षा पूर्वक चलाने से कारित हुई है जिस हेतु एकमात्र मृतक स्वयं जिम्मेदार रहा है। उनका तर्क रहा है कि सभी प्रार्थीगण किसी भी प्रकार से मृतक पर आश्रित नहीं रहे है न ही मृतक की आय व कार्य के तथ्य को प्रार्थीगण साबित कर सके है और अंत में उन्होंने प्रकरण योगदायी उपेक्षा का होना कहते हुए याचिका खारिज करने का निवेदन किया है।

09. उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया गया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । इस संबंध में प्रत्येक विवाद्यक पर मेरा न्यायिक विनिश्चय निम्न प्रकार हैः–

विवाद्यक संख्या–1

10. इस विवाद्यक का सिद्धिभार प्रार्थीगण पर है। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी बीमा कंपनी का प्राथमिक रूप से यह तर्क रहा है कि कथित ट्रेक्टर संख्या–आर.जे.01–आर.बी.–7764 से किसी भी प्रकार से कोई दुर्घटना कारित नहीं अपितु मृतक स्वयं मोटर साइकिल को बिना वैध व प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस के गफलत व लापरवाहीपूर्वक चलाकर स्वयं की गलती से दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और तथाकथित दुर्घटना की रिपोर्ट मिलीभगत कर कथित ट्रेक्टर को झूंठा संलिप्त करते हुए प्रार्थीगण द्वारा दर्ज करवाकर संपूर्ण झूंठी कार्यवाही क्लेम लेने के आशय से की गई है।

11. इस संबंध में अभिलेख का अवलोकन करते है तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रदर्श–01 तहरीरी रिपोर्ट है जो मृतक के भाई बादशाह खान द्वारा सी.एच.सी. पींसागन के चीरघर में पुलिस को प्रस्तुत की गई है जिसमें दिनांक 21.04.2024 को समय 4.00 बजे के आसपास उसके भाई उमर फारूख का अपनी मोटर साइकिल संख्या–आर.जे.21–एस डब्लू.–0744 पर रियाबडी से नागौर अपने घर आते समय फतेहपुरा रोड करणी माता मंदिर के पास पहुंचने पर सामने से ट्रेक्टर संख्या–आर.जे.0–आर.बी.–7764 को तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर उमर फारूख को टक्कर मारना बताया गया है। अर्थात जो रिपोर्ट प्रदर्श–01 प्रस्तुत की गई है उसमें प्राथमिक रूप से दुर्घटना कारित ट्रेक्टर का नंबर अंकित है और दुर्घटना दिनांक 21.04.2024 को सुबह 4.00 बजे कारित होना बताई गई है एवं दुर्घटना की रिपोर्ट भी उसी दिन दिनांक 21.04.2024 को समय 9.47 बजे सी.एच.सी.पीसांगन के चीरघर में प्रस्तुत कर दी गई है। अर्थात रिपोर्ट घटना घटित होने के तुरंत बाद ही प्रस्तुत कर दी गई है इतनी कम अवधि में मिलीभगत कर वाहन संलिप्त करने का तथ्य माने जाने योग्य नहीं है। अतः रिपोर्ट प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी नहीं रही है। इसके साथ ही जहां तक मिलीभगत का प्रश्न है, निश्चित रूप से यदि अप्रार्थी बीमा कंपनी यह पाती थी कि

प्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार से मिलीभगत की गई है तो अप्रार्थी बीमा कंपनी द्वारा अपने स्तर पर इस संबंध में कोई जांच अधिकारी नियुक्त कर इसकी जांच करवाई जा सकती थी। परन्तु ऐसी कोई जांच रिपोर्ट अभिलेख पर नहीं है ना ही अप्रार्थी बीमा कंपनी ने अपनी ओर से कोई साक्ष्य अपनी जवाब याचिका के संबंध में प्रस्तुत की है जिससे कि मिलीभगत की पुष्टि हो पाती।

12. प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श–01 कता होने के उपरांत अनुसंधान अधिकारी द्वारा दौराने अनुसंधान जो इस दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के स्वामी मुबारक स्या अप्रार्थी क्रम–02 को नोटिस धारा–133 एम.वी.एक्ट का प्रदर्श–06 दिया गया है उसमें उसने घटना दिनांक 21.04.2024 को कथित दुर्घटना कारित वाहन पर चालक अब्दुल जलील अप्रार्थी क्रम–01 का होना बताया है जिस पर इस अब्दुल जलील अप्रार्थी क्रम–1 चालक को भी धारा–134 एम.वी.एक्ट का नोटिस प्रदर्श–07 दिया गया है जिसमें उसने घटना दिनांक 21.04.2024 को कथित दुर्घटना कारित वाहन को स्वयं द्वारा चलाना बताया है। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान नक्शा मौका प्रदर्श–3 भी बनाया है जिसमें "एक्स" स्थान सडक के साइड में मृतक को मोटर साइकिल पर जाते को सामने से अप्रार्थी क्रम–01 द्वारा अपने दुर्घटना कारित ट्रेक्टर को तेजगति व लापरवाही से चलाकर टक्कर मारना बताया गया है। कथित दुर्घटना कारित ट्रेक्टर संख्या–आर.जे.01–आर.बी.–7764 को जरिए फर्द प्रदर्श–04 जप्त किया गया हैं। अनुसंधान अधिकारी ने संपूर्ण अनुसंधान के उपरांत अप्रार्थी क्रम–01 को इस दुर्घटना का आरोपी मानते हुए उसके विरूद्ध आरोप पत्र प्रदर्श–02 अंतर्गत धारा–279,304 ए भा.द.सं. में विचारण फौजदारी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त आरोप पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया हो ऐसी कोई साक्ष्य अप्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है। यदि इस आरोप पत्र के संबंध में किसी प्रकार से कोई विसंगति अप्रार्थी बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता पाते थे तो वह अनुसंधान अधिकारी को भी अधिकरण के समक्ष तलब कर परीक्षित करवा सकते थे परन्तु ऐसा नहीं किया जाना भी अप्रार्थी बीमा कंपनी के विरूद्ध उपधारित होता है जबकि ए.ड.–2 मोहम्मद युसुफ जो घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है उसके बयानों से भी दुर्घटना की पुष्टि होती है। इस साक्षी की साक्ष्य प्रतिपरीक्षा के दौरान अखण्डनीय रही है। प्रार्थी द्वारा पेश मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का खण्डन अप्रार्थी पक्ष द्वारा नहीं किया गया है। अतः योगदायी उपेक्षा का आक्षेप माने जाने योग्य नहीं है।

13. मुख्य रूप से विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी बीमा कंपनी का यह कहना है कि मृतक के पास वक्त दुर्घटना मोटर साइकिल को चलाने का वैध व प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। परन्तु यदि एक क्षण के लिए यह यह मान भी लिया जावें कि मृतक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था तो

भी अप्रार्थी द्वारा ऐसी कोई सुदृढ साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है कि मृतक मोटर साइकिल चलाना नहीं जानता हो। यदि मृतक मोटर साइकिल को बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के चला रहा था तो यह निश्चित रूप से पृथक से एम.वी.एक्ट का अपराध हो सकता है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि अप्रार्थी अपनी मोटर साइकिल जिसके पास वैध व प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस है को तेजगति व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।

14. अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह तथ्य साक्ष्य में प्रमाणित है कि दिनांक 21.04.2023 को सुबह 4.00 बजे पुलिस थाना पीसांगन, जिला अजमेर के क्षेत्राधिकार में फतेहपुरा रोड आम सडक पर अप्रार्थी क्रम–01 ने अप्रार्थी क्रम–02 के ट्रेक्टर संख्या–आर. जे. 01–आर.बी.–7764 को तेजगति व लापरवाही से चलाकर उमर फारूख को मोटर साइकिल संख्या–आर.जे.21–एस.डब्लू.–0744 पर जाते हुए को टक्कर मारी जिससे उसकी मृत्यु कारित हुई । अतः इस विवाद्यक का विनिश्चय प्रार्थीगण के पक्ष में किया जाता है।

विवाद्यक संख्या–2

15. इस विवाद्यक का सिद्धिभार प्रार्थीगण पर है। इस संबंध में पत्रावली पर पेश ट्रेक्टर संख्या–आर.जे.01–आर.बी.–7764 के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रदर्श–10 व बीमा प्रमाण पत्र प्रदर्श–12 के अनुसार उक्त वाहन का अप्रार्थी क्रम–2 रजिस्टर्ड स्वामी व बीमाधारी है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा जारी नोटिस धारा–133 एम.वी.एक्ट व धारा–134 एम.वी.एक्ट के नोटिसों क्रमशः प्रदर्श–06 व 07 के जवाबों में अप्रार्थी क्रम–1 का वरवक्त दुर्घटना वाहन चालक होना प्रमाणित है। उक्त वाहन बीमा पॉलिसी प्रदर्श–12 के अनुसार दिनांक 18.11.2023 से 17.11.2024 तक की अवधि के लिए अर्थात दुर्घटना की तिथि 21.04.2024 को वाहन अप्रार्थी क्रम–03 बीमा कंपनी के पास बीमित होना प्रमाणित स्थिति है जिसे बीमा कंपनी ने अपने जवाब में स्वीकार किया है।

क्षतिपूर्ति का दायित्व

16. क्षतिपूर्ति के संबंध में अधिकरण अपकृत्य विधि के सिद्धांत Vicarious liability का उल्लेख करना उचित समझता है। विधि के सिद्धांत के अनुसार सेवक के कार्य के लिए मालिक उत्तरदायी माना जाता है। यह निर्विवादित तथ्य है कि चूंकि अप्रार्थी क्रम-01 अपने चालक के कर्तव्य के रूप में अर्थात अप्रार्थी संख्या-02 के नियोजन के रूप में ट्रेक्टर को चला रहा था। इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार क्षतिपूर्ति की उसकी liability को नियोजक (वाहन स्वामी) की liability में merge किया जाता है। ऐसे में चालक की जिम्मेदारी का विस्तार Vicarious liability तहत उसके स्वामी तक

'Authenticated Document"

होता है। अतः उपरोक्त विवाद्यक इस प्रकार विनिश्चित किया जाता है कि अप्रार्थी क्रम-1 दिनांक 21.04.2024 को कथित दुर्घटना कारित ट्रेक्टर को अप्रार्थी क्रम-2 मालिक के नियोजन में और उसके हितार्थ चला रहा था और इसलिए अप्रार्थी संख्या-2 वाहन स्वामी अपकृत्यपूर्ण लापरवाही और उससे हुई मृतक की क्षति के लिए क्षतिपूर्ति (Damages) हेतु जिम्मेदार है। साथ ही अप्रार्थी क्रम-3 बीमा कंपनी भी बीमा करार के दायित्व के तहत क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार है।अतः इस विवाद्यक का विनिश्चय उक्त प्रकार से किया जाता है।

विवाद्यक संख्या– 3

17. इस विवाद्यक का सिद्धिभार भार अप्रार्थी क्रम–03 बीमा कंपनी पर है। जहां तक योगदायी उपेक्षा का प्रश्न है, मृतक की किस प्रकार से उपेक्षा रही यह अप्रार्थीगण साबित नहीं कर पाए है वरन् इस संबंध में विवाद्यक संख्या–01 में विस्तृत विवेचन किए जाने से यहां पर अब इसके अलग से विवेचन की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः इस विवाद्यक का विनिश्चय उक्त प्रकार से किया जाता है।

विवाद्यक संख्या–4

18. इस विवाद्यक को साबित करने का भार अप्रार्थी क्रम-3 बीमा कंपनी पर है। इस प्रकरण में प्रश्नगत अप्रार्थी चालक अब्दुल जलील का ड्राइविंग लाईसेंस प्रदर्श-11 पत्रावली पर पेश हुआ है जो दिनांक 16.04.2015 से 31.12.2030 तक मोटर साइकिल विद् गियर व हल्का मोटर यान चलाने के लिए वैध व प्रभावी है एवं दुर्घटना दिनांक 21.04.2024 को घटित हुई थी और इस तिथि को वह वाहन चलाने हेतु वैध रूप से सक्षम था तथा योग्य था और इसके विपरीत कोई तथ्य नहीं है। विपक्षी संख्या-3 बीमा कंपनी की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है कि उक्त ड्राईविंग लाईसेंस वक्त दुर्घटना वैध व प्रभावी नहीं हो। अतः वक्त दुर्घटना अप्रार्थी क्रम-1 के पास वैध व प्रभावी ड्राइविंग लाईसेंस साबित है। अन्य आपत्तियों बाबत विवाद्यक संख्या-1 में विस्तृत विवेचन किये जाने से यहां पर अब उनके अलग से विवेचना की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः इस विवाद्यक का विनिश्चय प्रार्थी के पक्ष में किया जाता है।

<u>अनुतोष</u>

19. अधिकरण को यह निर्णीत करना है कि प्रार्थीगण कितनी क्षतिपूर्ति राशि पाने के अधिकारी है। क्षतिपूर्ति की गणना हेतु यह अधिकरण निम्न factors पर विचार करता है।

मृतक की आयु का बिन्दुः–

20. क्षतिपूर्ति राशि निर्धारण करने के लिए सर्वप्रथम अधिकरण को पत्रावली पर आई साक्ष्य से मृतक उमर फारूख की आयु व मासिक आय पर विचार करना है। प्रार्थीगण ने याचिका में मृतक उमर फारूख की मृत्यु के समय उम्र–22 वर्ष अंकित की है। ए.ड.–1 प्रार्थी अरफान मौहम्मद ने भी अपने बयान में मृतक पुत्र उमर फारूख की उपरोक्तानुसार आयु होना बताई है। अभिलेख पर प्रस्तुत पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श–13 में भी मृतक की मृत्यु के समय उम्र–22 वर्ष अंकित है। लेकिन अभिलेख पर प्रस्तुत मृतक के आधार कार्ड की प्रति में उसकी जन्मतिथि 02.10.2002 अंकित है जिसका किसी प्रकार का खण्डन अप्रार्थीगण द्वारा नहीं किया गया है ऐसे में उक्त दस्तावेज पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। तदुनसार मृतक की मृत्यु के समय उम्र–21 वर्ष 06 माह 19 दिन निर्धारित किया जाना अधिकरण न्यायोचित समझता है।

मृतक की आय का बिन्दुः–

21. जहां तक मृतक उमर फारूख की आय का संबंध हैं, इस संबंध में प्रार्थीगण ने अपनी याचिका में मृतक का सोलर उर्जा व निर्माण कार्य के मिस्त्री के कार्य से 24,000/–रूपये मासिक कमाना अंकित किया है। इसी प्रकार के कथनों को ए.ड.01 अरफान मौहम्मद ने अपने बयानों में दोहराते हुए आय प्रमाण् पत्र प्रदर्श–14 प्रदर्शित कराया है जिसका अवलोकन किया गया उक्त आय प्रमाण पत्र मैसर्स गौरी एण्टरप्राइजेज एण्ड सोलर के प्रोपराइटर द्वारा जारी किया गया है। परन्तु इसे प्रमाणित करने के लिए उक्त फर्म का प्रोपराइटर साक्ष्य में परीक्षित नहीं हुआ है न ही उक्त फर्म का कोई हाजरी रजिस्टर, लेखा जोखा अथवा आयकर रिटर्न प्रस्तुत किए गए है जिनसे कि यह साबित होता कि मृतक उक्त फर्म में कार्यरत होकर उपरोक्त मासिक आय अर्जित करता था। प्रार्थीगण ने अपनी याचिका में मृतक के नियोजक का नाम भी अंकित नहीं किया है जिसे ए.ड–1 अरफान मौहम्मद ने अपने बयान में प्रतिपरीक्षा के दौरान स्वीकार किया है। अतः उक्त आय प्रमाण पत्र प्रदर्श–14 साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। प्रार्थीगण ने मृतक के निर्माण कार्य का मिस्त्री होने बाबत भी मजदूर यूनियन का कोई पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्रार्थीगण मृतक की बताएं गए कार्यो से 24000/–रूपये मासिक आय साबित नहीं कर सके है। ऐसे में अधिकरण के समक्ष इस बाबत किंचित मात्र भी साक्ष्य नहीं है कि मृतक उक्त कार्यो से उपरोक्त मासिक आय अर्जित करता था। अतः अधिकरण Minimum Wages Act के तहत मृतक की आय की संगणना करना न्यायोचित समझता हैं। ऐसे में मृतक की दुर्घटना के समय अकुशल श्रमिक की वर्ष 2024 में प्रचलित

तत्कालीन न्यूनतम मजदूरी दरों के आधार पर उसकी मासिक आय 7410/–रूपये मासिक निर्धारित किया जाना न्यायोचित समझता है।

आय में वृद्धि की भावी प्रत्याशा का बिन्दुः

22. प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि यदि मृतक जीवित रहता तो भविष्य में उसकी आमदनी दुगनी होती अतः आमदनी में भावी वृद्धि करते हुए क्षतिपूर्ति का आंकलन किया जाना चाहिए।

23. इसके विपरीत अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि मृतक की आमदनी निश्चित नहीं थी उसके कार्य की प्रकृति भी निश्चित नहीं थी। निश्चित आय का भी कोई प्रमाण पत्र प्रार्थीगण की ओर से पेश नहीं किया गया है। अतः मृतक की आमदनी में भावी वृद्धि किया जाना न्यायोचित नहीं है।

24. दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। जहां तक प्रार्थीगण को मृतक की आय में भावी प्रत्याशा जोड़ कर क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में ध्यानपूर्वक मनन किया गया। **माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 2017 (2) आर.ए.आर. 147 (एस.सी.) नेशनल इं.कं.लिमि. बनाम प्रणय सेठी व अन्य** में प्रतिपादित विधिक स्थिति के अनुसार जहां मृतक स्वनियोजित रहा हो तो उस स्थिति में मृतक की उम्र 40 वर्ष से कम होने पर 40 प्रतिशत की भावी वृद्धि की जायेगी। अतः उपरोक्त विवेचन व न्यायिक दृष्टांत से मार्गदर्शन लेने पर यह अधिकरण वर्तमान प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों, मृतक के कार्य की प्रकृति, उसकी उम्र को मददेनजर रखते हुए मृतक की उपरोक्त आमदनी में 40 प्रतिशत की भावी वृद्धि किया जाना न्यायोचित समझता है। तदनुसार मृतक की उपरोक्त आमदनी में 40 प्रतिशत की भावी वृद्धि मानते हुए मृतक की मासिक आय 10,374/–रूपये निर्धारित किया जाना उचित है।

आश्रितता का बिन्दुः–

25. जहां तक प्रकरण में आश्रितता का बिन्दु है। याचिका में मृतक पर उसकी पत्नी , माता–पिता आश्रित होना बताए गए है। परन्तु मृतक के पिता ए.ड.–1 अरफान मौहम्मद ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि उसके मृतक पुत्र के अलावा भी दो बडे पुत्र और है हालांकि उसने उक्त जीवित पुत्रों का अलग रहना कहा है परन्तु इस बाबत कोई सुदृढ साक्ष्य अभिलेख पर

प्रस्तुत नहीं की है। उक्त अरफान मोहम्मद मृतक का पिता किसी भी प्रकार से कार्य करने में अक्षम हो ऐसी भी कोई चिकित्सीय साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। ऐसे में मृतक पर उसके पिता अरफान मौहम्मद को आश्रित नहीं माना जा सकता एवं अरफान मौहम्मद के जीवित होते हुए उसकी पत्नी श्रीमती हमीदा अर्थात मृतक की माता को भी मृतक पर आश्रित नहीं माना जा सकता। मृतक पर मात्र उसकी विधवा पत्नी को ही आश्रित माना जा सकता है।

26. इस संबंध में माननीय राज.उच्च न्यायालय की एस.बी.सी.एम.ए. नंबर–1239/17 श्रीमती सुमित्रा व अन्य बनाम विनोद कुमार निर्णीत दिनांक 24.01.2025 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह मत अभिव्यक्त किया है कि आश्रितता/आय की हानि की गणना करते समय मुख्य रूप से उसी राशि पर विचार किया जाना है जो दावेदारों को मृतक से आश्रितता के रूप में प्राप्त हो रही है। वर्तमान मामले में मृतक पर उसकी पत्नी ही आश्रित रही है, अतः मृतक के जीवित रहने की दशा में मृतक की आय का उपभोग करने वाले केवल दो व्यक्ति थे और मृतक की मृत्यु पश्चात उसकी पत्नी एकमात्र आश्रित रही है। न्यायिक दृष्टांत **2009 डी.एन.जे. 684 सरला वर्मा व अन्य बनाम डी.टी.सी.** के मामले में विवाहित व्यक्तियों के मामले में यह व्यवस्था प्रतिपादित की गई है कि जहां ऐसे व्यक्ति पर यदि 2–3 आश्रित हो तो व्यक्तिगत खर्चे के रूप में 1/3 राशि कटौती किया जाना उचित है। परन्तु मृतक एक आश्रित होने की स्थिति में कितनी राशि की कटौती होगी यह तथ्य उक्त निर्णय में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से यह कटौती एक व्यक्ति के मामले में 2–3 आश्रित होने के संवर्ग से अधिक होगी। मृतक के जीवनकाल में वह तथा उसकी पत्नी दो ही थे एवं जब तक इसके विपरीत बात न हो अधिकतम मृतक अपने और अपनी पत्नी पर आधी–आधी राशि खर्च करता। ऐसी कोई सकारात्मक साक्ष्य नहीं आई है कि मृतक अपने पर 1/3 और पत्नी पर 2/3 राशि खर्च कर रहा हो तथा यह स्वभाविक भी नहीं है। ऐसी भी साक्ष्य नहीं है कि मृतक के पिता कोई आय अर्जित नहीं करते हो एवं संपूर्ण आश्रितता परिवार की मृतक पर ही हो। ऐसी स्थिति में औचित्यता की दृष्टि से व तार्किक रूप से और संपूर्ण परिस्थितयों को ध्यान में रखते हुए मृतक के व्यक्तिगत खर्चे के लिए 1/2 राशि की कटौती की जाना उचित है एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि इस बिन्दु पर अधिकरण का जो निष्कर्ष रहा है वह तर्कपूर्ण, उचित तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत सरला वर्मा बनाम डी.टी.सी. में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार विधिसम्मत है। इसी प्रकार का सिद्धांत 2025 Live Law (SC) 561 दीप शुक्ला व अन्य बनाम नेशनल इ.कं.लिमि. व अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी प्रतिपादित किया गया है। उक्त न्यायिक दृष्टांतों के तथ्य व परिस्थितियां

मेरे विनम्र मत में हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होती है। इस प्रकरण में भी मृतक पर मात्र उसकी पत्नी ही आश्रित होना साबित है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त अनुसार मृतक के व्यक्तिगत खर्चे के लिए आमदनी का 1/2 भाग कटौती करने के उपरांत मृतक की उम्र को देखते हुए 18 का गुणांक परिकल्पित कर क्षतिपूर्ति का आकलन किया जायेगा। तद्नुसार प्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति के रूप में उपरोक्त राशि 10374/–रूपये मासिक की 1/2 राशि अर्थात 5187 X 12 X 18 = 11,20,392/–रूपये की निकटतम राशि 11,20,400/–का प्रतिकर दिलाया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

Conventional Heads

27. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विनिर्णय 2009 डी.एन. जे. 684 सरला वर्मा व अन्य बनाम डी. टी. सी. व अन्य व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 2017 (2) आर.ए.आर. 147 (एस.सी.) नेशनल इं.कं.लिमि. बनाम प्रणय सेठी** की पृष्ठभूमि में यह अधिकरण प्रार्थीगण 01 व 02 को पुत्र सुख वंचन हेतु प्रत्येक को 48,400/–रूपये (48400X2= 96,800) एवं प्रार्थीया क्रम–3 मृतक की पत्नी को वैवाहिक सुख वंचन पेटे 48,400/–रूपये, (इस प्रकार इस मद में कुल–1,45,200/–रूपये) दिलाया जाना न्यायोचित मानता है।

28 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विनिर्णय **2009 डी.एन. जे. 684 सरला वर्मा व अन्य बनाम डी. टी. सी. व अन्य व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 2017 (2) आर.ए.आर. 147 (एस.सी.) नेशनल इं.कं.लिमि. बनाम प्रणय सेठी** में प्रतिपादित सिद्धांत अनुसार अंतिम संस्कार पेटे इस मद में प्रार्थीगण को एक मुश्त राशि 18,150/– रूपये दिलाया जाना उचित है।

29. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विनिर्णय **2009 डी.एन. जे. 684 सरला वर्मा व अन्य बनाम डी. टी. सी. व अन्य व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 2017 (2) आर.ए.आर. 147 (एस.सी.) नेशनल इं.कं.लिमि. बनाम प्रणय सेठी** में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार लॉस ऑफ स्टेटस हेतु 18,150/– रूपये दिलाये जाने न्यायोचित है।

30 परिणामतः प्रार्थीगण को निम्न अनुसार प्रतिकर राशि दिलाई जाती है:–

मद		प्रतिकर राशि
मृतक की आय		7410/–रूपये मासिक
भविष्यवर्ती आय(40% वृद्धि के पश्चात)		10,374/–रूपये मासिक
मृतक स्वयं पर खर्च की जाने वाली राशि 1/2 कम करने के पश्चात आय		5187/– रूपये मासिक अर्थात 62,244/–रूपये वार्षिक
गुणांक		X18
कुल आय से होने वाली क्षति		11,20,392/–रूपये की निकटतम राशि 11,20,400/–रूपये
Conventional Heads	पुत्र सुख वंचन प्रा.सं.-1 व 2 प्रत्येक	48,400X2= 96,800/– रूपये कुल
	वैवाहिक सुख वंचन प्रा.सं.-3	48,400/–रूपये प्रा.सं.–3
	अंतिम संस्कार पेटे	18,150/–रूपये
	लॉस ऑफ स्टेटस हेतु	18,150/–रूपये
कुल क्षतिपूर्ति राशि का योग		**13,01,900/–रूपये**

31. अतः संपूर्ण विवेचन से प्रार्थीगण उपरोक्तानुसार कुल–13,01,900/– रूपये प्रतिकर के रूप में दिलाया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण को अवार्ड राशि पर क्लेम याचिका दायर करने की तिथि से वसूली तक 06 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिलाया जाना उचित प्रतीत है।

32. जहां तक अप्रार्थीगण के नुकसानी के दायित्व का बिन्दु है, अधिकरण ने इस निर्णय के विवाद्यक संख्या–1 में अप्रार्थी क्रम–1 ट्रेक्टर चालक की गलती व लापरवाही से दुर्घटना घटित होना व विवाद्यक संख्या–2 में कथित वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी अप्रार्थी क्रम–2 का होना साबित मानते हुए अप्रार्थी क्रम–1 के क्षतिपूर्ति के दायित्व को उसके नियोजक अप्रार्थी क्रम–2 में Merge किया है एवं यह भी स्वीकृत स्थिति है कि कथित वाहन वक्त दुर्घटना अप्रार्थी क्रम–3 बीमा कंपनी के पास बीमित था। **ऐसे में संपूर्ण प्रतिकर राशि की अदायगी के प्रति अप्रार्थी क्रम–2 व 3 संयुक्त अथवा पृथक–पृथक रूप से उत्तरदायी है।**

आदेश

33. परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दुर्घटना दावा याचिका विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार कर निम्न प्रकार निर्णीत की जाती हैः–

(अ) प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण 2 व 3 से संयुक्त रूप से और पृथक– पृथक रूप से कुल–13,01,900/– रूपये (अक्षरे रूपया तेरह लाख एक हजार नो सौ मात्र) की राशि

प्रतिकर के रूप में पाने के अधिकारी है। वे उक्त राशि पर प्रार्थना पत्र पेश करने की तिथि 05.09.2024 से वसूली तक 06 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी प्राप्त करने के अधिकारी है।

(ब) उक्त राशि मय ब्याज जमा होने पर प्रार्थीगण को राशि का वितरण निम्न प्रकार किया जाना हैः–

क्र.सं.	**नाम प्रार्थी**	**बचत खाते में राशि**	**एफ.डी.आर.**	**एफ.डी.आर. की अवधि**
01.	अरफान मौहम्मद	1,25,475/–रूपये ***	1,00,000/– 1,00,000/–	01 वर्ष के लिए 03 वर्ष के लिए
02.	श्रीमती हमीदा	1,25,475/–रूपये ***	1,00,000/– 1,00,000/–	02 वर्ष के लिए 04 वर्ष के लिए
03.	श्रीमती सबरीना गौरी	2,50,950/–रूपये ***	1,00,000/– 1,00,000/– 1,00,000/– 1,00,000/–	01 वर्ष के लिए 03 वर्ष के लिए 05 वर्ष के लिए 07 वर्ष के लिए

(स) ***उपरोक्त समस्त प्रतिकर राशि पर देय ब्याज की राशि भी तीनों प्रार्थीगण के बचत खातों में समान रूप से बराबर–बराबर जमा की जाए।

(द) सावधि राशि पर न्यायाधिकरण की स्वीकृति के बिना न तो कोई ऋण लिया जा सकेगा न ही समय पूर्व भुगतान किया जायेगा।

(य) अप्रार्थी बीमा कंपनी , प्रार्थीगण को देय क्षतिपूर्ति राशि एवं ब्याज की राशि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा WP (C) 534/2020 बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 16.03.2021 को पारित आदेश में दी गई प्रक्रिया के अनुसार इस अधिकरण के **इण्डियन बैंक, कचहरी रोड, अजमेर में संचालित चालू खाता संख्या–8112367410 जिसका IFSC CODE- IDIB000A547** है, में NEFT या RTGS के माध्यम से जमा करायें एवं इस अधिकरण को 15 दिवस की अवधि में इसकी सूचना प्रस्तुत करें। शेष क्षतिपूर्ति राशि बाबत प्रार्थीगण की याचिका साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

‘Authenticated Document"

(र) निर्णय की प्रति अप्रार्थीगण को आदेश की पालना हेतु दी जायें।

(महेन्द्र कुमार ढाबी)
न्यायाधीश,
मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण,
अजमेर

निर्णय आज दिनांक 07.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(महेन्द्र कुमार ढाबी)
न्यायाधीश,
मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण,
अजमेर

VINOD KUMAR
Steno Gr II "Authenticate Document"
Digitally signed by VINOD KUMAR
Date: 2026.03.07 14:14:18 +0530